प्रा0पत्र / 24 / 2024

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री रामहरि पुत्र श्री रामसिहं, उम्र 40 वर्ष, जाति माली, निवासी जहानपुर तहसील हलैना, जिला भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय

दिनांक 09.04.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.12.2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर हलैना से भरतपुर की ओर जहानपुर मोड पर फौजी भुसावर का प्रसिद्ध अचार के प्रतिष्ठान पर पहुँचे। मौके पर श्री रामहरि पुत्र श्री रामसिहं उम्र 40 वर्ष, जाति माली, निवासी जहानपुर तहसील हलैना, उपस्थित मिला, जिसने यह स्थान स्वयं की सम्पत्ति होना बताया। उक्त प्रतिष्ठान में ऊपर घर की रसोई में 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 02 सिलेण्डर एवं नीचे व्यापार प्रतिष्ठान में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 19 किग्रा का 01 वाणिज्यिक सिलेण्डर मौजूद मिले। श्री रामहरि से पूछताछ करने पर उसने सिलेण्डर किसी के शादी के लिए रखे हाने बताये परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति का नाम बार–बार पूछने पर नहीं बताया एवं किसी गैस ऐजेन्सी से सिलेण्डर आने बाबत पूछने पर भी गैस एजेन्सी का नाम नहीं बताया, ना ही अवैध रूप से भण्डारित सिलेण्डरों बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 11 भरे हुये गैस सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा, 05 खाली सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा, 01 खाली सिलेण्डर भराव क्षमता 19 किग्रा, कुल 17 सिलेण्डरों को मय गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। पैरोकार रसद की इकतरफा में बहस सुनी गई।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 24 / 2024
प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम रामहरि

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा मौके पर जप्त 11 भरे हुये गैस सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा, 05 खाली सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा, 01 खाली सिलेण्डर भराव क्षमता 19 किग्रा, कुल 17 सिलेण्डरों का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं इनका उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये करने के लिये पाया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण जप्त कुल 17 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान में मौके पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्त 11 भरे हुये गैस सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा, 05 खाली सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा, 01 खाली सिलेण्डर भराव क्षमता 19 किग्रा, कुल 17 सिलेण्डरों को मय गैस राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 11 भरे हुये गैस सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा, 05 खाली सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा, 01 खाली सिलेण्डर भराव क्षमता 19 किग्रा, कुल 17 सिलेण्डरों को मय गैस राजसात (Confiscate) किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है एवं जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा कराने तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर